

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~राजगी~~
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....~~राजगी~~.....

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~राजगी~~ व भू.अ.नि. ~~राजगी~~ की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~आरगी~~ तहसील ~~राजगी~~ जिला ~~चित्तौड़गढ़~~ की जमाबन्दी सम्वत् ~~2077~~ में खाता संख्या ~~583, 617, 584~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आरगी	583 617 584	बक्षु पुग नगजी	बक्षीराम पुग नगजीराम

(~~A1~~)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ~~राजगी~~

क्रमांक :- ~~371/22~~

दिनांक :- ~~10/11/22~~

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ~~राजगी~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~बक्षीराम पुग नगजीराम~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(~~A1~~)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ~~राजगी~~

